Circulate
15/1/14

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

//MEMORANDUM//

No........D/350....................../
III-2-15/04

Jabalpur, dated 08 / 01/2014

To,

The District & Sessions Judge,

Damoh...............(M.P.)

Subject:- Regarding recording of evidence of SIMI Accused through Video Conferencing .

Reference :- Letter of State Government , Law Department Bhopal no. 4389/21-B(1) dated 22-11-2013.

As directed, on the subject & reference mentioned above, please find enclosed herewith the letter of Inspector General of Police (ATS) Bhopal dated 26-10-2013 with a request to issue necessary directions to all the Judicial Officers working under you to conduct court proceedings of all the under trial prisoners of offences u/s 3 of the Unlawful Activities (Prevention Act) 1967 SIMI , through Video Conferencing.

Encl : As above.

8/1/14

REGISTRAR(DE)

गोपनीय

विशेष शाखा, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक– निस/पुअ/एटीएस/भोपाल/2013 (1493) भोपाल, दिनांक 26/10/2013

प्रति,

श्री डी.पी. गुप्ता,
गृह सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
गृह (सी–अनुभाग) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

No. 4907/SH(P)/2013
Dated 28/10/13

विषयः– सिमी आरोपियों की न्यायालयीन पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है म.प्र. सहित देश के विभिन्न कारागृहों में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) के विचाराधीन आरोपी निरूद्ध हैं। ऐसे आरोपियों को न्यायालय पेशी हेतु लाने – ले जाने के दौरान अवसर पाकर इनके पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की संभावना बनी रहती है। दिनांक 01.10.2013 को जिला जेल खण्डवा से प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) के 06 कुख्यात आरोपी (आतंकवादी) फरार हो गये। इन आतंकवादियों के फरार होने की दशा में देश एवं प्रदेश की लोक परिशांति कायम रखने में एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भविष्य में ऐसी किसी संभावित अप्रिय स्थिति को टालने हेतु सिमी के प्रकरणों में आरोपित एवं विभिन्न कारागृहों में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों की न्यायालयीन पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराया जाना युक्तिसंगत होगा। पूर्व में सिमी आरोपियों के विरूद्ध प्रदेश के विभिन्न जिलों में विचाराधीन 18 प्रकरणों का विचारण एक ही स्थान पर भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय में निर्धारित किये जाने के संबंध में मान. उच्च न्यायालय जबलपुर मध्यप्रदेश में याचिका क्रमांक–10623/2012 प्रस्तुत की गई है। साथ ही विभिन्न न्यायालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिमी के प्रकरणों में सुनवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक न्यायालयों द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 273 के तहत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया जाकर रिकार्ड की गई साक्ष्य भी न्याय प्रक्रिया में ग्राह्य है। इस हेतु आरोपी की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उक्त तारतम्य में **"AIR 2003 Supreme Court 2053"** Criminal Appeal No. 476 of 2003 (arising out of S.L.P. (Cri.) No.6814 of 2001) with Crl. Appeal No. 477 of 2003 (arising out of S.L.P. (Crl.) No.6815 of 2001), D/- 1.4.2003. **State of Maharashtra Appellant v. Dr. Praful B. Desai, Respondent.** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी की न्यायालयीन पेशी को विधि सम्मत माना है **(छायाप्रति संलग्न)**। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में **"साक्ष्य"** शब्द को परिभाषित करते हुए वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई साक्ष्य को भी साक्ष्य की परिभाषा में सम्मिलित किया है।

अतः विधिक प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के पालन में एवं सिमी संगठन के बंदी आरोपियों द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, आरोपियों की आपराधिक प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए सिमी संगठन के विचाराधीन समस्त बंदियों की न्यायालयीन पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.) से अनुरोध किया जाना उचित होगा, ताकि प्रतिबंधित सिमी संगठन के आरोपियों की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अविलंब प्रारंभ कराई जा सके। सिमी संगठन पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी गजट अधिसूचना दिनांक 03 फरवरी, 2012 की छायाप्रति कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

26/10/13

(संजीव शमी)
पुलिस महानिरीक्षक,
एटीएस, म.प्र., भोपाल